



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 151 राँची, सोमवार,

30 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

2 मार्च, 2026

आदेश सं०-5/आरोप-01-03/2024 का०- 1308--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-224 दिनांक- 24.01.2024 के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक-974 दिनांक- 30.11.2023 एवं 359 दिनांक- 25.05.2023 की छायाप्रति प्रति संलग्न करते हुए श्री अमित कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के विरुद्ध देवघर जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7696 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी होने एवं इस कारण कई लाभुकों को उनकी अहर्ता के अनुरूप गेहूँ नहीं मिलने संबंधी मामले में श्री अमित कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-1190, दिनांक- 16.02.2024 के द्वारा श्री अमित कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-75/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से किया गया तथा स्मारित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-1190, दिनांक- 16.02.2024 के क्रम में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत मामले में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

4. उक्त के क्रम में प्रस्तुत मामले में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक- 703, दिनांक- 7.03.2025 पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि-

(क) देवघर जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7696 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी होने एवं इस कारण कई लाभुकों को उनकी अहर्ता के अनुरूप गेहूँ नहीं मिलने संबंधी मामले की जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, देवघर एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची से अनुरोध किया। साथ ही, श्री अमित कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर से इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

(ख) उक्त के क्रम में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-102, दिनांक 13.01.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उपर्युक्त मामले में खाद्यान्न के कालाबाजारी संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राँची के पत्रांक-385, दिनांक 30.01.2024 द्वारा भी की गयी।

(ग) उपायुक्त, देवघर एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों तथा विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त उपर्युक्त मामले में खाद्यान्न का कालाबाजारी प्रमाणित नहीं होता है।

उक्त के आलोक में श्री कुमार को स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया है।

5. अतः समीक्षोपरान्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 703, दिनांक- 7.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री अमित कुमार, झा०प्र०से० (को०क्र०-75/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
